



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231357
CG-DL-E-25112021-231357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4491]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/ अग्रहायण 03, 1943

No. 4491]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 03, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4858(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 291+580 से 358+580 कि. मी. तक पोरसा से अटेर भिंड रोड (सेक्शन-4) (भिंड-पुल-निर्माण) के निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी भिंड जिला भिंड को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधारअधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के

पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि. मी. 291+580 से 358+580 कि. मी. तक पोरसा से अटेर भिंड रोड (सेक्शन-4) (भिंड-पुल-निर्माण) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: भिंड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भिण्ड					
गांव का नाम: जवासा					
1	1077	निजी	सिंचित	0.0720000(हेक्टेयर)	0.0720000
2	132	निजी	सिंचित	0.1190000(हेक्टेयर)	0.1190000
3	70	निजी	सिंचित	0.0310000(हेक्टेयर)	0.0310000
4	71	निजी	सिंचित	0.0640000(हेक्टेयर)	0.0640000
5	81	निजी	सिंचित	0.0290000(हेक्टेयर)	0.0290000
6	82	निजी	सिंचित	0.1560000(हेक्टेयर)	0.1560000
7	85	निजी	सिंचित	0.0160000(हेक्टेयर)	0.0160000
8	86	निजी	सिंचित	0.1320000(हेक्टेयर)	0.1320000
9	88	निजी	सिंचित	0.1070000(हेक्टेयर)	0.1070000
10	89	निजी	सिंचित	0.0460000(हेक्टेयर)	0.0460000
11	91	निजी	इरगेयिटड्	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
12	92	निजी	सिंचित	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
13	93	निजी	सिंचित	0.0530000(हेक्टेयर)	0.0530000
14	94	निजी	सिंचित	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000
15	95	निजी	सिंचित	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
16	96	निजी	सिंचित	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000

17	97	निजी	सिंचित	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
18	98	निजी	सिंचित	0.1010000(हेक्टेयर)	0.1010000
कुल				1.3590	1.3590

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 4858(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway no. 552 Ext. in the stretch of land from Km. 291+805 to 358+580 Km. in the District- BHIND in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub-Divisional officer (Revenue) and Land Acquisition officer Bhind, district BHIND, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (1) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of Land From Km. 291+805 to 358+580 Km. Porsa-Ater-Bhind-Road (Section-4) (Bhind-Bridge Approches) of the National Highway no. 552-Ext. in the District- BHIND in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH District: BHIND					
Sr. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhind					
Village: Jawasa					
1	1077	Private	Irrigated	0.0720000(Hectare)	0.0720000
2	132	Private	Irrigated	0.1190000(Hectare)	0.1190000
3	70	Private	Irrigated	0.0310000(Hectare)	0.0310000
4	71	Private	Irrigated	0.0640000(Hectare)	0.0640000
5	81	Private	Irrigated	0.0290000(Hectare)	0.0290000
6	82	Private	Irrigated	0.1560000(Hectare)	0.1560000
7	85	Private	Irrigated	0.0160000(Hectare)	0.0160000
8	86	Private	Irrigated	0.1320000(Hectare)	0.1320000
9	88	Private	Irrigated	0.1070000(Hectare)	0.1070000

10	89	Private	Irrigated	0.0460000(Hectare)	0.0460000
11	91	Private	Irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000
12	92	Private	Irrigated	0.1300000(Hectare)	0.1300000
13	93	Private	Irrigated	0.0530000(Hectare)	0.0530000
14	94	Private	Irrigated	0.0390000(Hectare)	0.0390000
15	95	Private	Irrigated	0.1500000(Hectare)	0.1500000
16	96	Private	Irrigated	0.0850000(Hectare)	0.0850000
17	97	Private	Irrigated	0.0090000(Hectare)	0.0090000
18	98	Private	Irrigated	0.1010000(Hectare)	0.1010000
Total				1.3590	1.3590

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3A1]

RAJESH GUPTA, Director